

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 437/जेकेडी-एलए/2009

दिनांक: 30 नवम्बर, 2009

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,  
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,  
मुम्बई।

विषय: झारखंड विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2009 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में।

आदेश

यतः भारत निर्वाचन आयोग ने अपने तारीख 23 अक्टूबर, 2009 के प्रेस नोट सं. ई सी आई/पी एन/58/2009 के तहत झारखंड विधान सभा के साधारण निर्वाचन की अनुसूची की उद्घोषणा की है तथा आदर्श आचार संहिता के उपबंध उसी दिवस से लागू हो गया है; तथा

यतः आयोग के ध्यान में यह आया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की उपलब्धियों को उजागर करने से संबंधित विज्ञापनों को झारखंड में प्रकाशित समाचारपत्रों सहित 19 नवम्बर, 2009 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, तथा

यतः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के नाते, बैंक द्वारा उपर्युक्त विज्ञापनों में केन्द्रीय सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने से वास्तव में आदर्श आचार संहिता के पैरा 7 (IV) का उल्लंघन हुआ है।

यतः आयोग ने आपको इस बारे में स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया कि आपने आदर्श आचार संहिता का असम्मान एवं उल्लंघन किया; और

यतः तारीख 21 नवम्बर, 2009 के अपने उत्तर में आपने कहा है कि बैंक की उपलब्धियों को चल रहे वाणिज्यिक क्रियाकलापों के भाग के रूप में घोषित किया गया था और झारखंड राज्य में किन्हीं उपलब्धियों का दावा नहीं किया था तथा यह कि विज्ञापन को पढ़ना किसी भी रीति में प्रभावोत्पादक प्रकृति का प्रतीत नहीं होता है और कि विज्ञापन को वास्तविक हितों में जारी किया गया था और कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था; तथा

यतः आयोग ने आपके उत्तर पर विचार किया है और इसे संतोषजनक नहीं पाया है क्योंकि तथ्य यह है कि आपके विज्ञापन को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में झारखंड में स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

इसलिए, आयोग ने आपको भविष्य में सावधान रहने और ऐसे उल्लंघनों की पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए चेतावनी देने का निर्णय लिया है।

(बरनार्ड जॉन)  
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 437/जेकेडी-एलए/2009

दिनांक: 30 नवम्बर, 2009

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,  
केनरा बैंक,  
बंगलोर

विषय: झारखंड विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2009 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में।

आदेश

यतः भारत निर्वाचन आयोग ने अपने तारीख 23 अक्टूबर, 2009 के प्रेस नोट सं. ई सी आई/पी एन/58/2009 के तहत झारखंड विधान सभा के साधारण निर्वाचन की अनुसूची की उद्घोषणा की है तथा आदर्श आचार संहिता के उपबंध उसी दिवस से लागू हो गया है; तथा

यतः आयोग के ध्यान में यह आया है कि झारखंड में केनरा बैंक की उपलब्धियों को उजागर करने से संबंधित विज्ञापनों को झारखंड में प्रकाशित समाचारपत्रों सहित 19 नवम्बर, 2009 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, तथा

यतः केनरा बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के नाते, बैंक द्वारा उपर्युक्त विज्ञापनों में केन्द्री सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने से वास्तव में आदर्श आचार संहिता के पैरा 7 (IV) का उल्लंघन हुआ है।

यतः आयोग ने आपको इस बारे में स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया कि आपने आदर्श आचार संहिता का अवसम्मान एवं उल्लंघन किया; और

यतः अपने तारीख 21 नवम्बर, 2009 के उत्तर में, आपने कहा है कि आपने अपने बैंक की 104वीं वार्षिकी के अवसर पर सामान्य बैंकिंग व्यवसाय संबंधी क्रियाकलापों के भाग के रूप में इन 104 शाखाओं को खोला है जिनमें से 2 झारखंड में हैं और कि आपके द्वारा जारी विज्ञापन, शाखा खोलने के बारे में जनता के लिए केवल सूचना थी और कि बैंक ने राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जारी किया था जिनमें से एक या दो उनके स्थानीय समाचारपत्रों में भी कवर किए गए; तथा

यतः आयोग ने आपके उत्तर पर विचार किया है और इसे संतोषजनक नहीं पाया है क्योंकि तथ्य यह है कि आपके विज्ञापन को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में झारखंड में स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

इसलिए आयोग ने आपका भविष्य में सावधान रहने और ऐसे उल्लंघनों की पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए चेतावनी देने का निर्णय लिया है।

(बरनार्ड जॉन)  
सचिव